

बिहार सरकार पुलिस तथा अवारोही सैन्य पुलिस हेतु स्टेनलेस स्टोल के वर्तीनों को खरोद सर्व आमूल्ति के सम्बन्ध में।

पुलिस आदेश सं 214/89 में बिहार सरकार पुलिस तथा अवारोही सैन्य पुलिस बल हेतु विभिन्न किसी के वर्तीन वाल को खरोद सर्व उसको आमूल्ति हेतु प्रक्रिया का निष्पत्र किया गया है।

उपर्युक्त पुलिस आदेश सं 214/89 का कोडिङा 44 में निम्नस्मेण आंदोलन किया जाता है :-

यूँकि स्टोल को थालो सर्व लोटा को खरोद "सामग्री सर्व प्रूत्तियों" में तो जानो है और इसके लिए पुलिस मुख्यालय भी सधम है, अतः यह निर्णय किया जाता है कि इसको खरोद केन्द्रीय सम ते पुलिस मुख्यालय द्वारा डो जाएगी। इन वर्तीनों को न्यूनतम आवश्यकताएँ समादेश्टारण महानिरोधक, सरकारी बल, बिहार को संसूचित करेंगे और महानिरोधक, सरकारी बल द्वारा पुलिस मुख्यालय को इसको सूचना दो जाएगी। उतों अनुसम पुलिस मुख्यालय द्वारा इन वर्तीनों को खरोद सम्बन्धी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

Wednesday

महानिरोधक सर्व आरक्षी महानिरोधक
बिहार, पटना।

जापांक 454 / नै० पु०

स्व 6- 1- 1/89.

आरक्षी महानिरोधक, सरकारी बल का जापांक, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक 2 मार्च 1990.

प्रतिलिपि:-

1. आरक्षी महानिरोधक, सरकारी बल/उप-विज्ञप्ति, बिहार, पटना को सूचनार्थ सर्व आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. तभी आरक्षी उप-महानिरोधक/समादेश्टा, बिहार सरकारी बल अवारोही तहित सूचनार्थ सर्व आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. आरक्षी महानिरोधक के सहायक प्रगति।/क्यू। बिहार, पटना को सूचनार्थ सर्व आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. प्रगति पदाधिकारी परो-। प्रगति, महानिरोधक सर्व आरक्षी महानिरोधक जापांक, बिहार, पटना को राजपत्र में प्रकाश हेतु आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

महानिरोधक सर्व आरक्षी महानिरोधक,
बिहार, पटना।

मेहमता:: 1390::